

चापलूसों के बुलावे पर सी एम पुत्र पहुंचे शहर में

3

पाक में चुनाव: तमाशा 'जम्हूरियत' का

4

क्या है जो मज़दूर वर्ग को क्रांतिकारी बनाता है?

6

कवि-सम्मेलनों की याद में

7

## शिक्षा विभाग में फर्जीवाड़े का हाल: जालसाजी से डीईओ बनी धारीवाल

फरीदाबाद ( म.मो. ) जिला शिक्षा अधिकारी रेखा धारीवाल, जिनके ज़िम्मे जिले भर की स्कूली शिक्षा है, खुद जालसाजी एवं नकली दस्तावेजों के आधार पर नौकरी में लगी हैं। इनके रोजमर्रा के काम काज के स्तर को देख कर जब इनकी योग्यता पर शक हुआ तो सूचना अधिकार द्वारा इनकी पात्रता की जानकारी प्राप्त की गयी।

उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार रेखा पंवार (शादी पूर्व) का जन्म 1.1.1956 को हुआ और मात्र 13 वर्ष की आयु में यानी कि 1969 में उन्होंने दसवीं पास कर ली। 1972 में बारहवीं तथा 1974 में बी एस सी (विज्ञान स्नातक) तथा 1976 में एमएस सी (विज्ञान स्नातकोत्तर) पास कर ली। मजे की बात यह है कि दसवीं से लेकर एम एस सी तक की सारी पढ़ाई इन्होंने मेरठ जिले के बड़ौत कस्बे में स्थित जनता वैदिक स्कूल से ही पूरी कर ली। किसी भी परीक्षा में इन्होंने 45 प्रतिशत से अधिक अंक भी प्राप्त नहीं हो सके। राजस्थान के अजमेर से इन्होंने विवाह-उपरांत बीएड की डिग्री सन् 1980 में प्राप्त की।

वर्ष 1994 में हरियाणा सरकार ने अपने शिक्षा विभाग में सीधे प्रिंसिपल भर्ती हेतु विज्ञापन निकाला। इसके लिये वही सब



उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार रेखा पंवार (शादी पूर्व) का जन्म 1.1.1956 को हुआ और मात्र 13 वर्ष की आयु में यानी कि 1969 में उन्होंने दसवीं पास कर ली। 1972 में बारहवीं तथा 1974 में बी एस सी (विज्ञान स्नातक) तथा 1976 में एमएस सी (विज्ञान स्नातकोत्तर) पास कर ली। मजे की बात यह है कि दसवीं

से लेकर एम एस सी तक की सारी पढ़ाई इन्होंने मेरठ जिले के बड़ौत कस्बे में स्थित जनता वैदिक स्कूल से ही पूरी कर ली। किसी भी परीक्षा में इन्होंने 45 प्रतिशत से अधिक अंक भी प्राप्त नहीं हो सके। राजस्थान के अजमेर से इन्होंने विवाह-उपरांत बीएड की डिग्री सन् 1980 में प्राप्त की।

योग्यतायें रखी गयीं जो रेखा के पास थीं। साथ में मात्र 8 वर्ष का स्कूल में पढ़ाने का अनुभव भी रख दिया। कायदे से तो यह अनुभव हरियाणा सरकार के स्कूलों का होना चाहिये था अथवा किन्हीं बहुत बढ़िया ख्याति प्राप्त स्कूलों का। लेकिन वह शर्त रेखा को माफ़िक नहीं आ सकती थी। लिहाजा किसी भी स्कूल का झूठा सच्चा प्रमाणपत्र ही मान्य रखा गया।

इसके लिये रेखा ने एक प्रमाणपत्र तो

अपने घर में ही चलने वाले विवेकानंद इन्टरनेशनल स्कूल मकान नं. 814 सेक्टर 8 फरीदाबाद का दिया। मजे की बात है कि इन्होंने नौकरी के लिये आवेदन फार्म में रिहायश का पता भी मकान नं. 814 सेक्टर 8 दिया है। दूसरा प्रमाणपत्र 4 वर्ष के अनुभव का डा. राधाकृष्णन इन्टरनेशनल स्कूल सी ब्लाक डिफेंस कालोनी नयी दिल्ली का दिया गया है।

शेष पेज 2 पर

## आर टी आई पर भारी, अफसरों की खुमारी: सर्विस स्टेशन रहेगा जारी



टेंगा! सरकारी अमले के दम पर!

फरीदाबाद ( म.मो. ) निकम्मी सरकार के मुफ्तखोर अफसरों से थोड़ा बहुत काम कराने में सूचना का अधिकार अधिनियम कुछ हद तक कारगर होने लगा था। लेकिन राजनेताओं व अफसरों के गठजोड़ ने अब इसकी भी हवा निकाल दी है। कोई अफसर अब न तो 30 दिन में मांगी गयी सूचना देने की जरूरत समझता है और न ही पूछे गये प्रश्नों के उचित उत्तर। क्योंकि जवाब देने वाले नालायक व निक्कमे अफसरों को अभय दान देने के लिये इन्हीं के बड़े भाई लोग (सेवानिवृत्त उच्चाधिकारी) बतौर सूचना-आयुक्त इनके विरुद्ध अपीलें सुन कर बजाय कोई सटीक कार्यवाही करने के मामले की लीपा पोती कर देते हैं।

दिनांक 26.11.2012 को फरीदाबाद के ज्योति संग ने जिला उपायुक्त कार्यालय में 50 रुपया नकद जमा करा कर सूचना मांगी थी कि सेक्टर 46 के हिलव्यू अपार्टमेंट्स प्लॉट नम्बर 2 व संस्कृति अपार्टमेंट्स प्लॉट नं. 3 के सामने स्थित सेक्टर 47 में जो मोटर कारों की वर्कशॉप एवं सर्विस स्टेशन चलाया जा रहा है वह वैध है या अवैध? सर्वोच्च न्यायालय ने इसे वन क्षेत्र घोषित करके इस पर जो रोक लगाई थी क्या वह हटा ली है? क्या उक्त वर्कशॉप बनाने की अनुमति सक्षम अधिकारियों ने दी है? इसके नक्शे किसने पास किये हैं तथा बिजली व पानी के कनेक्शन किस अधिकारी ने किस आधार पर दिये हैं? सीवर कनेक्शन न होने की वजह से क्या गंदे व रसायन युक्त पानी को भूमि के भीतर उतारा जा सकता है?

शेष पेज 2 पर

■  
पूरे मामले को 'सूचना का अधिकार कानून' की बजाय यदि प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी देखा जाता तो उपायुक्त कार्यालय में बैठे अधिकारियों के कान खड़े हो जाने चाहिये थे। क्योंकि उक्त वर्कशॉप सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करके पूर्णतया अवैध तरीके से बनाई गयी है।

खबर दार

## 900 चूहे खाकर गुजराती बिल्ली हज को चली सज़ा-ए-मौत केवल मुस्लिम-सिख आतकियों के लिए ?

दिल्ली ( म.मो. ) गुजरात के भाजपाई मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी की समझ में ज्यों-ज्यों यह आता जा रहा है कि फरवरी 2002 नरसंहार उनकी प्रधानमंत्री बनने की अभिलाषा में सबसे बड़ा रोड़ा है, त्यों-त्यों उनकी पैतरेबाजी नये-नये रूप लेती जा रही है। स्वयं को इस नरसंहार से अलग दिखाने की ताजातरीन कवायद में उन्होंने जो नया शिगूफ़ा छोड़ा है वह स्वयं उनके कट्टर अनुयायियों को भी हजम कर पाना मुश्किल हो रहा है।

कौन सोच सकता था कि तब हफ्तों चलाये गये मुस्लिम नरसंहार को अपना आशीर्वाद देने वाले मोदी अपनी सरकार से अपील करवा कर कुख्यात नरोदा पाटिया कांड के प्रमुख कर्ताओं बाबू बजरंगी एवं माया कोडनानी के लिये फांसी की सज़ा की मांग करेंगे। गौरतलब है कि नरसंहार के दौरान और उसके बहुत बाद तक भी माया मोदी की



बाबू बजरंगी

माया कोडनानी

सत्ता की शतरंज पर कुर्बान प्यादे

सरकार में मंत्री रही थी। यह भी जग जाहिर है कि मोदी ने नरसंहार को न तो

रोकने में दिलचस्पी दिखायी थी, न मुकदमें दर्ज कराने में, न आरोपियों को

पकड़वाने में और न अदालतों से उन्हें सज़ा दिलवाने में। बिल्ली अगर हज को चली भी जाये तो हाजी नहीं बन सकती।

मोदी भी ऊपरी तौर पर जितना भी बदला हुआ दिखने की कोशिश करें अन्दर से तो वही रहेंगे जो वे जगजाहिर हैं। आजकल उनके सारे पैतरे दो बातों को साधने के लिये चले जा रहे हैं। एक, अमेरिकी वीजा पाने के लिये और दूसरा, भारत-वर्ष का प्रधानमंत्री पद हथियाने के लिये। बाबू बजरंगी व माया कोडनानी के लिये फांसी मांगना इन्ही दो लक्ष्यों की पूर्ति के लिये है।

वैसे तो मोदी की प्रधानमंत्री पद की दावेदारी को समर्थन देने वाले विश्व हिन्दू परिषद एवं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने इस बात पर सार्वजनिक रूप से

खिन्नता जतायी है कि मोदी सरकार 'हिन्दुओं' के लिये फांसी की सज़ा क्यों मांग रही है पर मोदी की मजबूरी उनकी भी समझ में आती ही है। लिहाजा कुछ बयान दे कर उनकी ओर से भी चुप्पी साध ली गयी है। आखिर मोदी जैसा खिलाड़ी उन्हें रातों-रात दूसरा तो कोई मिलेगा नहीं। फिर वे भी जानते हैं कि यह सिर्फ ऊपरी दिखावा है, अन्दर से 'उनका' मोदी उन जैसा ही है।

मोदी साम्प्रदायिक राजनीति को भुनाने में कोई कच्चा खिलाड़ी तो है नहीं। उसे भी पता है कि हिन्दुस्तान में अदालतें साम्प्रदायिक दंगों के आरोपी हिन्दू आतंकियों को फांसी की सज़ा देने से गुरेज करती हैं।

शेष पेज 2 पर